न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2013 रि. 3379 - I/13

डॉ. जितेन्द्र पिता दौलतराम जेठवानी,
आयु–39 वर्ष, व्यवसाय–चिकित्सक
निवासी–दौलतभवन घोंसला, तह. महिदपुर
जिला उज्जैन ————प्रार्थी

विरूद्ध

1– योगेश पिता श्री कमलाशंकर शर्मा,
आयु–25 वर्ष, धंधा–नामालुम, निवासी–ग्राम घोंसला,
तह. महिदपुर जिला उज्जैन

2– वरिष्ठ एरिया प्रबंधक इंडियन ऑयल कार्पोरेशन
लिमि. इंडेन एरिया कार्यालय, पांचवी मंजिल पर्यावास
भवन, मदर टेरेसा रोड़ अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.

———प्रतिप्रार्थीगण

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 51 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959
सहपठित आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी.

निगरानी 4096-PBR/12 दिनांक 6/5/13 के विरुद्ध प्रस्तुत

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला उज्जैन

प्रकरण कमांक रिव्यु 3379–एक /13		
स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–6–2016	आवेदक की ओर से श्री देवाशीष शास्त्री अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण क्र. निगरानी 4096–पीबीआर/2012 में पारित आदेश दिनांक 6–5–13 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया हैं उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	